इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर 2018—अग्रहायण 5, शक 1940

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2018

क्रमांक. एफ 2-4-2018-बयालीस (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविदा नियुक्ति पर तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना तथा प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी भर्ती नियम, 2018 है.
- (2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—
 - (क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश या उनके द्वारा अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी;
 - (ख) ''रकम'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट रकम;
 - (ग) ''नियुक्ति'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति;
 - (घ) ''विभाग में'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग;
 - (ङ) ''विभागीय भर्ती नियम'' से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा भर्ती नियम:
 - (च) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, संचालक, कौशल विकास एवं रोजगार मध्यप्रदेश;
 - (छ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा;

- (च) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश ;
- (छ) 'परीक्षा' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा;
- (ज) 'सेवानिवृत्त शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है, शासकीय सेवा से अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त शासकीय सेवक ;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस–4–84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
- (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविध्यन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संब्रध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है:
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूचियां।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.--
 - ये नियम मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त किए गए लिपिक वर्गीय एवं संसाधन व्यक्ति के संवर्ग में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों के सदस्यों को लागू होंगे।
- 4. संविदा नियुक्ति के पद.— वे पद संविदा नियुक्ति के पद कहलाएंगे जो अनुसूची—एक के अनुसार विभागीय सेट—अप में संविदा नियुक्ति पद के रूप में स्वीकृत है।
- 5. नियुक्ति का तरीका.—मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में संविदा आधार पर विज्ञापन के माध्यम से समस्त उल्लिखित पदों के लिए की जा सकेगी ।

6. चयन समिति.-

- (1) अनुसूची—एक में विहित पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति वही होगी, जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो।
- (2) चयन समिति के गठन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

7. आयु सीमा.-

(1) अनुसूची—दो में उल्लिखित पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा के संबंध में लागू होगें:

परन्तु जो आवेदक मध्यप्रदेश के निवासी है, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो निम्नानुसार है:--

(1)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25+15=40
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25+20=45
(3)	पुरूष / महिला आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था तथा नगर सैनिक का स्टाफ)	25+20=45
(4)	पुरूष / महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग—अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	25+20=45
(5)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	25+20=45 :

परंतु और यह कि जो आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी नहीं है, तो किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु—सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। (3) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति जहां अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है वहां 65 वर्ष तक एवं जहां अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है वहां 67 वर्ष की आयु तक की जा सकेगी।

8. नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड.-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में लिपिक वर्गीय एवं संसाधन व्यक्तियों (तृतीय श्रेणी) तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
- (2) सेवा में पद की नियुक्ति परीक्षा / कौशल परीक्षण द्वारा की जाएगी।
- (3) संविदा कर्मचारी की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता तथा विविध अर्हताएं अनुसूची—दो के अनुसार होगी।
- (4) तृतीय श्रेणी के संविदा पदों के लिए पात्रता परीक्षा संचालनालय कौशल विकास तथा रोजगार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड(पीईबी) या विभाग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कौशल विकास द्वारा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैद्यता, परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् 18 माह या अगली पात्रता परीक्षा तक इसमें जो भी पूर्वोत्तर हो होगी नियुक्ति के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना आगामी वर्ष की प्रथम जनवरी से जिसमें नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाना है की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों, निःशक्तजन व्यक्तियों तथा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा चयन के समय प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों हेतु संविदा नियुक्ति के लिए अपात्रताएं.—
 सेवानिवृत्त शासकीय सेवक, संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—
 - (1) उसकी 10 वर्षों की सेवा अभिलेख अच्छा या बहुत अच्छा नहीं रहा हो।
 - (2) उसकी सेवा अविध के दौरान उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही हो तथा शासकीय कार्य के संबंध में ईमानदारी तथा दक्षता निम्न रही हो।
 - (3) वह सेवा से पदच्युत या हटाया गया हो या कोई विभागीय जांच या उसके विरुद्ध विभागीय जांच / आपराधिक अभियोजन लंबित हो।

- (4) यदि पिछले दस वर्षों के दौरान संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को कोई दण्ड दिया गया है।
- (5) उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।
- 10. आरक्षण.— संविदा नियुक्ति के पदों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय—समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे,साथ ही महिला एवं निःशक्तजन व्यक्तियों आदि के आरक्षण के लिए, समय—समय पर जारी नियम/निर्देश भी लागू होंगे।

11. नियुक्ति की अवधि.-

- (1) नियम 4 के उप—िनयम (1) के अधीन उल्लिखित पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष से अनिधक अविध हेतु होगी, परन्तु संचालनालय प्राचार्य/संस्था प्रमुख के आकलन साथ ही साथ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की आवश्यकता तथा उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए नियुक्ति की कालाविध को एक बार में अधिकतम एक वर्ष या उसकी किसी कालाविध के लिए बढ़ाकर तृतीय श्रेणी संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण के बारे में विनिश्चय कर सकेगा।चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी की सेवा अविध के नवीनीकरण का विनिश्चय प्राचार्य/संस्था प्रमुख से प्राप्त उपयुक्तता प्रतिवेदन का मूल्यांकन कर संयुक्त संचालक द्वारा किया जाएगा।
- (2) संविदा अधिकारियों / कर्मचारियों की अविध किसी वास्तविक कारण के बिना समाप्त नहीं की जाएगी तथा यदि उसके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप साबित होता है, तो कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाएगा तथा उसकी युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने तथा जांच पूर्ण करने के पश्चात् ही सेवा समाप्त की जा सकेगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पद के दौरान पालन किया जाएगा।
- (3) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का अग्रिम वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

- (4) भर्ती किए जाने वाले पदों के 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाएगें, और वह केवल एक बार ही लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (5) संविदा अविध के दौरान यदि किसी प्रकार का कोई विवाद दोनों पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होता है, तो संचालक का अंतिम विनिश्चय होगा तथा जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य होगा।

12. संविदा वेतन एवं अन्य सुविधाएं.-

- (1) संविदा कर्मचारियों का समेकित वेतन, समकक्ष नियमित पदों के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत होगा ।
- (2) संविदा कर्मचारी जनवरी के माह में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए जब तक हकदार होगें तथा जब तक वे नियमित नहीं हो जाते है, वेतनवृद्धि के लिए न्यूनतम 6 माह की सेवा अनिवार्य है।
- (3) जिन संविदा कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, उन्हे राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
- 13. अवकाश की पात्रसा (कैलेंडर वर्ष में).—
 संविदा कर्मचारी के लिए पात्र होगें,—
 - (क) 13 दिन का आकस्मिक अवकाश वार्षिक;
 - (ख) 15 दिन का अर्जित अवकाश वार्षिक;
 - (ग) 10 दिन का लघुकृत अवकाश वार्षिक;
- (घ) महिला संविदा कर्मचारियों हेतु 90 दिवस का प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। 14. यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं.—
 - (1) विभागीय सेट अप में संविदा पद हेतु नियुक्त व्यक्तियों को यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी;
 - (2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/ समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे;

(3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिए, यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं नियमों में विहित नहीं है, ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

15. अन्य शर्ते.-

- (1) चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रूपये 100/— के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विहित फार्मेट में अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध के निष्पादन में उपगत व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा:
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा;
- (3) आवेदक को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा:
- (4) पति—पत्नि के स्वयं के व्यय पर एक साथ पदस्थापना के लिए या आपसी स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किए जाने हेतु विशेष परिस्थितियों में एवं प्रशासकीय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण का अधिकार संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश के पास आरक्षित रहेगा। उन्हें नियुक्ति के स्थान पर ही अपना मुख्यालय रखना होगा;
- (5) अभ्यर्थी के चरित्र का सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा;
- (6) कर्मचारी सिविल सर्जन या उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए चिकित्सकीय समर्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;
- (7) चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य होगा, कि वह नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिवस के भीतर नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यग्रहण करे। उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं/अथवा अनुबंध न किए जाने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी।;
- (8) यदि संविदा पर नियुक्ति सेवा का कोई सदस्य बिना किसी विशिष्ट कारण और सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित

- रहता है, तो उसकी नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त मानी जाएगी;
- (9) मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों को आयु में छूट का लाभ लेने हेतु अपने आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;
- (10) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे;
- (11) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी;
- (12) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन / पीएआर (परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) अभिलिखित किया जाएगा, ताकि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो, तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके;
- (13) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान, उसे / उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा और उसे / उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के साथ—साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके लिए बाध्यकारी होगा;
- (14) संविदा आधार पर नियुक्ति व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है। किन्तु यह प्रावधान सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा;
- (15) संविदा आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त सेवक सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो, तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 45—क के अनुसार लाइसेंस शुक्क की वूसली की जाएगी।

16. आदिम जनजाति के लिए विशेष उपबंध .-

यदि कोई अभ्यर्थी जिला श्योपुर, मुरैना, दितया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोक नगर के सहिरया जनजाति, जिला बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल तथा उमिरया के बैगा जनजाति एवं जिला छिंदवाडा में तामिया विकासखण्ड के भारिया जनजाति का है तथा विनिर्दिष्ट/विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य पात्रता रखता है, तो संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश द्वारा उसे इन नियमों में उल्लिखित भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना संविदा पद पर नियोजित किया जा सकता है। ये अभ्यर्थी प्रक्रिया के बिना संविदा नियक्ति के उपबंधों के लाभ प्राप्त करने के हकदार होगें। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या कुल पदों की संख्या से अधिक हो तो चयन, न्यूनतम योग्यता परीक्षा में अभिप्राप्त कुल अंकों के आधार पर अवरोही क्रम से किया जाएगा।

- 17. निर्ह्ताएं .— कोई भी व्यक्ति तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा,यदि—
 - (क) वह भारत का नागरिक नहीं है;
 - (ख) वह पूर्व में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार और/स्थानीय निकाय, सहकारी सोसायटी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपकम की सेवा से अनंतिम रूप से पदच्युत किया गया हो;
 - (ग) वह नैतिक अधमता अन्तर्विलित होने वाले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो / ठहराई गई हो :

परन्तु ऐसा मामला जहां न्यायालय में लंबित है तो संविदा नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा;

(घ) वह महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषी हो :

परन्तु ऐसा मामला जहां न्यायालय में लंबित है तो नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा :

- (ङ) अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पूर्व से ही जीवित पत्नि हो ;
- (च) वह किसी आपराधिक अपराध के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया हो तथा दिण्डत किया गया हो / दोष सिद्ध ठहराई गई हो तथा दिण्डत की गई हो: परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी इस प्रकार दोष सिद्ध ठहराया गया हो किन्तु केवल एक चेतावनी के साथ उसे निर्मुक्त कर दिया गया हो तथा किसी दण्ड से दण्डादिष्ट नहीं किया गया हो, ऐसे व्यक्ति को अनर्हित नहीं समझा जाएगा:
- (छ) अभ्यर्थी के पास विज्ञापित पद हेतु विहित न्यूनतम अर्हता नहीं है;
- (ज) यदि अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी स्थानीय निकाय या किसी शासकीय सहायता प्राप्त संगठन का कर्मचारी है और यदि वह वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है/करती है;
- (झ) किसी अभ्यर्थी की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यर्थिता का समर्थन अभिप्राप्त करेंने का कोई भी प्रयास उसके परीक्षा/चयन में उषस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनर्हता अवधारित की जा सकेगी;
- (ञ) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव में, जो 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, दो या दो से अधिक संतान का जन्म जुड़वा के रूप में होता है किसी सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए अनर्हित नहीं होगा;

(ट) कोई भी अभ्यर्थी जो विवाह के लिये नियत न्यूनतम आयु से पहले विवाह करता है, संविदा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

18. चयन प्रकिया.-

तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की संविदा पर आवश्यकता के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

(1) विज्ञापन के लिए प्रक्रिया :

- (क) तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन संचालनालय, कौशल विकास/प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) या विभाग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा जारी किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग हेतु विज्ञापन क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कौशल विकास द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जाएगी।
- (ख) अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए पृथक—पृथक आवेदन कर सकेगा।
- (ग) भर्ती हेतु विज्ञापन विभाग के सूचना पटल / वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (घ) भर्ती के संबंध में विज्ञापन जनसंपर्क विभाग के माध्यम से राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) चयन के मापदण्ड :--

(क) कर्मचारियों की संविदां नियुक्ति के लिए चयन हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणागुण (मेरिट) के आधार पर चयन किया जाएगा।

(ख) लिखित परीक्षा में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा।

अनुक्रमांक	्र पद का नाम	विषय	अधिकतम अंकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संसाधन व्यक्ति (संचार	1. सामान्य ज्ञान	25 प्रतिशत
	कौशल, अंग्रेजी दक्षता,	2. सामान्य गणित	25 प्रतिशत
	गुणवत्ता प्रबंधन साधन	3. हिन्दी एवं अंग्रेजी में	25 प्रतिशत
	उद्यमिता कौशल,	दक्षता	
	व्यवसायिक सुरक्षा और	4. कम्प्यूटर का	25 प्रतिशत
·	स्वास्थ्य)	आधारभूत ज्ञान	
2	कम्प्यूटर आपरेटर सह		
	लिपिक		
3	छात्रावास अधीक्षक		

4	ग्रन्थपाल		
5	चतुर्थ श्रेणी	1. सामान्य ज्ञान	50 प्रतिशत
		2. सामान्य गणित	50 प्रतिशत

समस्त विषयों के लिए प्रश्न पत्र का स्तर तृतीय श्रेणी के लिए 10वीं कक्षा तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा।

- (3) लिखित पात्रता परीक्षण के लिए प्रक्रिया :--
 - (क) संचालनालय या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी आवेदन—पत्र की प्रक्रिया तथा परीक्षा के संबंध में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा।
 - (ख) लिखित परीक्षण / कौशल परीक्षण या दोनों हेतु पद अनुसार पदवार पाठ्यक्रम जो भी विनिर्दिष्ट पदों हेतु विनिश्चित किया जाएगा, संचालनालय या उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा / वेबसाइट पर डाला जाएगा।
 - (ग) भर्ती हेतु पात्रता परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में श्रेणीवार / प्रवर्गवार न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा :--

अनुकमांक	पद का नाम	अनुसूचित जाति/	अन्य
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· ·	अनुसूचित जनजाति/	
		निःशक्तजन	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संसाधन व्यक्ति (संचार	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
	कौशल, अंग्रेजी दक्षता,		
	गुणवत्ता प्रबंधन साधन,		
	उद्यामिता कौशल, व्यवसायिक	·	,
	सुरक्षा तथा स्वास्थ्य)		
2.	कम्प्यूटर आपरेटर सह लिपिक	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
3.	छात्रावास अधीक्षक	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4.	ग्रंथपाल	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
5.	चतुर्थ-श्रेणी	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत

- (4) चयन सूची तैयार किया जाना :— संचालनालय या प्राधिकृत एजेंसी पात्रता परीक्षण के आधार पर गुणागुण सूची/चयन सूची तैयार करेगा और उसे जारी करेगा। उपरोक्त आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची/चयन सूची गुणागुण कम में तैयार की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में उद्धरित किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो, प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसमें उतनी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलत होगें जितनी कि संचालनालय द्वारा अपेक्षित/निर्देशित की जाए।
- (5) नियोजन की पद्धित :— संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी को इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित किए गए फार्मेट के अनुसार अनुबंध करना होगा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा कर्मचारी के कार्य/आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर चयनित व्यक्ति के नियोजन की अविध में वृद्धि की जा सकेगी।
- (6) अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में विनिश्चय :— परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संचालनालय या संचालनालय द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे संचालनालय / प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रवेश प्रमाण—पत्र (प्रवेश—पत्र) जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 19. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 20. निर्वचन.— इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसे राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- 21. निरसन.— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इन नियमों के प्रवत्त में आने की तारीख पर समस्त नियुक्तियां, इन नियमों की पूर्व नियुक्ति आदेश की सेवा शर्त के अधीन की गई समझी जाएंगी जो संविदा की शेष कालावधि हेतु लागू होंगी।

अनुसूची-एक

अनुक्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की	रकम रूपयों में
		संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संसाधन व्यक्ति (संचार	219	संविदा कर्मचारियों का
	कौशल,अंग्रेजी दक्षता, गुणवता		पारिश्रमिक, समकक्ष पद के
	प्रबंधन साधन,उद्यमिता कौशल,	,	न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत
٠.	व्यावसायिक सुरक्षा और		होगा
	स्वास्थ्य)		,
2.	कम्प्यूटर आपरेटर सह- लिपिक	100	– तदैव –
3.	छात्रावास अधीक्षक	80	— तदैव —
4.	लाईब्रेरियन (ग्रंथपाल)	04	– तदैव –
5.	चतुर्थः श्रेणी	40	तदैव —

अनुसूची—दो तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता

अनुक्रमांक पद का नाम आयु सीमा शैक्षणिक अर्हता (1) (2) (3) (4) 1. संसाधन व्यक्ति 18 से 25 वर्ष 1. हायर सेकेण्डरी (10+2) अंग्रेजी विषय के साथ (संचार कौशल, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. 3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिजिनिस एडिमिनिस्ट्रेशन में स्नातक/ बिजिनिस साधन, उद्यमिता एडिमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर या समाजशास्त्र, समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/कला/अर्थश स्नातक। 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/कम्प्यूटर ज्ञ	
 संसाधन व्यक्ति (संचार कौशल, (संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, वौशल, व्यावसायिक सुरक्षा संसाधन व्यक्ति (संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवता प्रबंधन एडिमिनिस्ट्रेशन में स्नातक/ बिजिनिस एडिमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर या समाजशास्त्र, समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/कला/अर्थश 	
(संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा	
अंग्रेजी दक्षता, गुणवता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा	
गुणवता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा एडिमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर या समाजशास्त्र, समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/कला/अर्थश	1
साधन, उद्यमिता एडिमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर या समाजशास्त्र, कौशल, समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/कला/अर्थश व्यावसायिक सुरक्षा स्नातक।	ਸ
कौशल, समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर/कला/अर्थश व्यावसायिक सुरक्षा स्नातक।	
व्यावसायिक सुरक्षा स्नातक।	ľ
	ास्त्र में∤
और क्लाक्रम) १ कम्प्यटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / कम्प्यटर ज	
1 1 2	ान के
लिए डीसीए/पीजीडीसीए/कोपा/या	उच्चतर
कम्प्यूटर अर्हता.	
2. कम्प्यूटर आपरेटर 18 से 25 वर्ष 1. हायर सेकेण्डरी (10+2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण	
सह लिपिक 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित	
कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा का सी पी	t
सी टी प्रमाण पत्र (स्कोर बोर्ड)	
3. अभ्यर्थी को नीचे दी गई मान्यता प्राप्त संस्था	ओं
में से किसी एक से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण ह	<u>श</u> ेना
चाहिए;	
(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य	ता
प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिप्लो	मा
उत्तीर्ण हो।	
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा	मान्यता
प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर प	रीक्षा में
डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
(ग) डिप्लोमा स्तर पर डी.ओ.इ.ए.सी.सी. के स	मकक्ष
कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
(घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्याल	य से
मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्ती	र्ण
होना चाहिए।	ļ
(ड़) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, नइ	\$
दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षा	गं,
परिषद् मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय	
"कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्सि	ਟੇਂਟ''
का प्रमाण पत्र ।	

			(च) बी.ई.(सी.एस./आई.टी.)/एम.सी.ए.,बी.सी.ए.
			/ एम.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.),बी.एस.सी.(आई.
			टी. / सी.एस.),एम.टेक / एम.ई. ।
			(छ) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित कम्प्यूटर
			साइंस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं सूचना
			प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा।
3.	छात्रावास अधीक्षक	18 से 25 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
			उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण.
			2. शारीरिक शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा.
4.	लाईब्रेरियन	18 से 25 वर्ष	1. हाईस्कूल या समकक्ष अथवा 11वीं उत्तीर्ण(पुराना
	(ग्रंथपाल)		पाठ्यक्रम).
			2. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् / राज्य
	•		व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से प्रमाण पत्र या
			राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त
,			विश्वविद्यालय/ बोर्ड/पॉलीटेक्निक से पुस्तकालय
			एवं सूचना विज्ञान में उपाधि/डिप्लोमा।
5.	चतुर्थ-श्रेणी	18 से 25 वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं
		· ·	कक्षा उत्तीर्ण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा, उपसचिव.

(100 / - रूपए के स्टाम्प पेपर पर)

संविदा नियुक्ति हेतु अनुबंध (नियत वेतन पर नियुक्ति हेतु)

प्रथम पक्षकार (नियोजक)—	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश या उनके द्वारा समनुदेशित सक्षम प्राधिकारी जोकि स्वीकृत पद पर नियुक्ति हेतु चयनकर्ता होगा। (जिसे इस विलेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित किया जाएगा)
द्वितीय पक्षकार (चयनित अभ्यर्थी)—	श्रीआयुवयस्क निवासी(जिसे इस विलेख में सुविधा की दृष्टि से द्वितीय
्र अन्य विवरण निम्नवत् हैं:—	पक्षकार के नाम से संबोधित किया जाएगा).

- 1. यहिक तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधीन स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्वीकृत के पद पर नियत वेतन पर द्वितीय पक्षकार का चयन किया जा रहा है, जो नियुक्ति दिनांक...........................से केवल एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष के अवसान पश्चात् नियत सेवा कालावधि पूर्ण होने पर सेवा विक्रय स्वतः समाप्त मानी जाएगी, द्वितीय पक्षकार को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा सेवा संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद दावा स्वीकृत/ग्राहय नहीं किया जाएगा।
- यहिक, चयनित सेवा का कर्मचारी / द्वितीय पक्षकार शासकीय सेवक के रूप में नहीं माना जाएगा।

- 3. यहिक, चयिनत द्वितीय पक्षकार/सेवा का कर्मचारी न तो नियमितीकरण या नियमित वेतनमान के हकदार होंगे, और न ही विधि के न्यायालय में इसके लिए कोई दावा प्रस्तुत कर सकेंगें।
- 4. यहिक, चयनित द्वितीय पक्षकार/सेवा के कर्मचारी महंगाई भत्ता/गृह भाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ते के हकदार नहीं होगा।
- 5. यहिक, चयिनत द्वितीय पक्षकार 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा. महिला अभ्यर्थियों की दशा में 180 दिन के मातृत्व अवकाश तथा पुरुष अभ्यर्थी की दशा में वह अपनी पत्नी की प्रसूति के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा।
- 6. यहिक, चयिनत द्वितीय पक्षकार को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता देय होगा। उक्त भत्ते के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों के सामान किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा, न ही अन्य कोई भत्ते देय होंगे, जिसकी सहमित द्वितीय पक्षकार द्वारा इस पर उसके हस्ताक्षर से प्रदान की जाती हैं।
- 7. यहकि, चयनित द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध गंभीर शिकायत की दशा में अथवा अभ्यर्थी के अवांछनीय / राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है अथवा उसकी और से कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता पाए जाने पर, प्रथम पक्षकार को किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा. अतएव, उपरोक्त किसी मामले का आरोप सिद्ध होने पर, प्रथम पक्षकार के पास द्वितीय पक्षकार की सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने की अधिकार होगा, जिस पर द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
- 8. यहिक, सेवा के दौरान द्वितीय पक्षकार किसी व्यक्ति को गंभीर क्षिति कारित करता है अथवा यदि वह स्वंय किसी क्षिति का भागी होता है अथवा कोई शारीरिक विकलांगता से ग्रिसत होता है अथवा आत्महत्या कारित करता है, तो ऐसी स्थिति में, द्वितीय पक्षकार अथवा उसके निमित्त उसके परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार का दावा आदि स्वीकार्य योग्य नहीं होगा. सेवा शर्तों से अन्यथा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को सेवा में नियुक्ति/अनुकम्पा के

आधार पर नियुक्ति आदि प्रदान नहीं की जाएगी जिस हेत् द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

- 9. यहिक, यदि द्वितीय पक्षकार उक्त एक वर्ष की संविदा सेवा के अवसान के पूर्व ही अपनी सेवा त्यागना चाहता है तो ऐसी किसी परिस्थिति में, द्वितीय पक्षकार को सेवा के एक माह पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी को सूचना देनी होगी अन्यथा ऐसी स्थिति में एक माह का वेतन एकमुश्त जमा करके रसीद प्राप्त करना होगा एवं संस्था से अदेय प्रमाणपत्र लेना होगा
- 10. यहिक, यदि द्वितीय पक्षकार की सेवाएं यदि संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा अन्य कारणों से बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं, जिस पर द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 11. यहिक, नियुक्ति के पत्र में यदि कोई तथ्य शेष रह जाता है अथवा प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किन्हीं संशोधित अथवा उपांतरित नियमों के कारण शब्दों के बाद जोड़ा जाता है तो ऐसी किसी परिस्थिति में, एक अनुपूरक निष्पादित की जाएगी जो द्वितीय पक्षकार को प्रतिग्राह्य होगी एवं जिस पर हस्ताक्षर करने हेतु द्वितीय पक्षकार वचन देता है.

मैंने ऊपर उल्लेखित संविदा सेवा शर्तों को ठीक से पढ़ लिया है। अतएव, जिसके साक्ष्य में, मेरे द्वारा आज दिनांक......दिन....वर्ष...... को बिना किसी डर या

7 %)	
दबाव के दो गवाहों की उपस्थिति में	यह संविदा निष्पादित कर दी है, ताकि जब कभी
अपेक्षित हो निर्दिष्ट किया जा सके.	
	हस्ताक्षर (प्रथम पक्षकार) (नियुक्तिकर्ता)
हस्ताक्षर साक्षी:-	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्षकार) (चयनित अभ्यर्थी)
1. हस्ताक्षर नाम पता	2. हस्ताक्षर नाम पता

MADHYA PRADESH GOVERNMENT

TECHNICAL EDUCATION, SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

F2-4/2018/42(2) Bhopal /date\26-11-20/8

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules relating to Class III and Class IV Employees on contract appointment in the Industrial Training Institutions under Technical Education, Skills Development and Employment Department, namely:-

RULES

1. Short title application and commencement.

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Industrial Training Institute Class III and Class IV contractual Employees Recruitment Rules, 2018.
- (2) These rules shall come into force from the date of their Publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing" Authority" means the Director, Skill Development Madhya Pradesh or any other officer authorized by him.
- (b) "Amount" means amount as specified in column (4) of schedule I;
- (c) Appointment" means a person appointed on contract basis under these rules;
- (d) "Department" means Madhya Pradesh Technical Education, Skill Development and Employment Department;
- (e) Departmental Recruitment Rules" means Industrial Training service recruitment rules in force for appointment to the concerned service or post.
- (f) "Director" means Director, Skill Development And Employment Madhya Pradesh;
- (g) "Examination" means the examination conducted for the recruitment under these rules;
- (h) "Retired Government Servant" means Government Servant retired from the Government Service after completing the age of superannuation;
- (i) "Other Backward Class" means the Other Backward Classes of the citizens as specified by the State Government vide notification No.F-8-5-XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of

Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

- (k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the state of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (l) "Schedule" means schedules appended to these rules.

3. Scope and Application.

These rules shall apply to the members of class-III in the Cadre of Clerical and Resource person and IV employees appointed in the Industrial Training Institute under the Department of Technical Education, Skill Development and Employment, Government of Madhya Pradesh.

4. Post of contractual appointment.— The post which are at Schedule-I are the sanctioned contractual appointment post in the Departmental setup.

5. Methods of Appointment.-

Appointment on contractual basis in the Technical Education, Skill Development and Employment Department of Madhya Pradesh Government shall be made for all the posts mentioned by way of advertisement.

6. Selection Committee.-

- (1) Selection committee for appointment to the posts prescribed under schedule-I shall be same as prescribed in the Departmental recruitment rules.
- (2) The provisions of section 8 of Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Avam Anya Pichhade Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be applicable for the constitution of the selection committee.

7. Age Limit.-

(1) Portions regarding age limit as issued by the General Administration Department, from time to time, for contractual appointment on the post mentioned in Schedule –II shall be applicable:

Provided that candidates who are domiciles of Madhya Pradesh shall be given relaxation in upper age limit as under:-

(1)	Male applicant (Unreserved Category)	25+15=40
(2)	Female applicant (Unreserved Category)	25+20=45
(3)	Male/Female applicant (Government Corporation/ Board /staff of autonomous	25+20=45
	Institute and Home Guards	·

(4)	Male/Female applicant (Reserved caste-	25+20=45
	scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other	
	Backward Classes)	
(5)	For disabled applicant	25+20=45:

Provided further that such candidates who are not domicile of Madhya Pradesh shall not be eligible for relaxation in upper age limit in any condition.

- (2) A live registration in any Employment Exchange of Madhya Pradesh is compulsory for all candidates applying for all the posts of Class-III and Class-IV.
- (3) In the case of retired government servant appointment may be given up to the age of 65 year where age of superannuation is 60 years and where the age of superannuation is 62 years, it may be given up to the age of 67 years.

8. Qualifications and eligibility criteria for appointment.-

- (1) After the commencement of these rules, the Clerical Cadre and Resource Persons, (Class III) and Class IV contractual posts in the Industrial Training Institute on the designated posts, shall be appointed in accordance with the provisions of these rules.
- (2) The appointment of post in the service shall be made by written examination/skill test.
- (3) Educational qualification and miscellaneous qualification for contract employees shall be as per Schedule-II.
- (4) The eligibility examination for Class III contractual ... posts shall be conducted by the Directorate of Skill Development and Employment/ **Professional** Examination Board (PEB) or any other competent agency approved by the Department and for Class IV posts it shall be organized by the Joint Director, Skill Development. The validity of eligibility test shall be 18 Months after the declaration of its result or up to the next eligibility test, whichever occurs first. The calculation of the minimum and maximum age limit fixed for the Appointment shall we made from 1st January of the ensuring year in which appointment is made. The upper age limit in respect of Scheduled castes, Scheduled tribe and Other Backward classes, Physical Challenged Persons and Women candidates shall be given relaxation as per the government rules prevalent at the time of selection.
- 9. Ineligibilities for contractual appointment for retired Government Servants. No retired Government servant shall be eligible for contractual appointment, if-

- (1) His service record for 10 years has not been good or very good.
- (2) His integrity during service period has been doubtful and honesty and efficiency has been very law in respect of the official work.
- (3) He has been dismissed or removed from the service or any departmental enquiry or Departmental enquiry/prosecution is pending against him.
- (4) If concerned officer/employee has been punished during the last 10 years.
- (5) he is not of sound health.

10. Reservation.-

The provisions of Madhya Pradesh Lok Sewa (Anusuchit jatiyon, Anusuchit janjatiyon anya Pichhade Vergon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and rules/ instructions issued thereunder from time to time shall reply to the posts of appointment along with rules/ instructions Issued for reservation of Women and Physically Challenged persons etc from time to time, shall also be applicable.

11. Tenure of Appointment.

- (1) The appointment on the posts mentioned under rule 4 of sub-rule (1), shall be made for the period of not more than one year first time. However, Director may take decision about the renewal of Class III contractual appointment by extending the period of appointment for a period of maximum one year at one time depending on the necessity and assessment by Principal/ Head of the institution as well as requirement and suitability of person so appointed on. The decision of renewal of service period of IV class employee shall be taken by the Joint Director by evaluating their suitability report received from the Principal/ Head of the institution.
- (2) Tenure of contractual officers/employees shall not be terminated without any genuine reason and if any serious charge is proved against him, a showcase notice shall be issued and his services may be terminated only after giving an opportunity for hearing and completion of the inquiry. During this post the principles of natural justice shall be followed.
- (3) Either of parties may terminate the appointment during the period of appointment by giving one month notice in advance or paying one month's salary in lieu thereof.

- (4) 20 percent reservation shall be given in the new recruitments but one shall be entitled to get benefit only one time.
- (5) If any dispute arises between the two parties during the contract period, the final decision of the Director shall be final and who shall be acceptable to both the parties.

12. Contract pay and other facilities.-

- (1) The consolidated pay of contractual employees shall be 90 percent of minimum pay of equivalent regular post.
- (2) The Contractual employees shall be entitled for yearly increment in the month of January until and unless they are regularized, a minimum of 6 months service is compulsory for increment.
- (3) The contractual employees who are not getting the benefit of Employee Provident Fund/National Pension Scheme shall be given the benefit of National Pension Scheme.

13. Applicability of Leave.- (In a calendar Year)

The contractual employee shall eligible for,-

- (a) 13 days of casual leave yearly.
- (b) 15 days of earned leave yearly.
- (c) 10 days of commuted leave yearly.
- (d) Women contractual employees will be given 90 days of maternity leave.

14. Travelling allowances and other facilities.-

- (1) The persons appointed in the contract post in the Departmental setup, shall be eligible for travelling allowance and other facilities.
- (2) In case of appointment of retired persons, they shall be eligible for travelling allowances and other benefits as payable to government servant for the concerned post/ equivalent post.
- (3) If any contact appointment post, travelling allowances and other benefits are not prescribed in the rules, then the eligibility of travelling allowance and other benefits to the person so appointed on such posts shall be same as that of the government servant of the same or equivalent post.

15. Other conditions.-

(1) The selected candidates after receiving the appointment order shall execute an agreement with

- the Appointing Authority on the non-judicial stamp of Rs 100/- in the prescribed format. The expenditure incurred or execution of the agreement shall be borne by the candidate.
- (2) The candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall enclose the caste certificate issued by the competent authority.
- (3) The applicant shall enclose a Character Certificate issued by a Gazetted officer.
- (4) The rights are reserved by the Director, Skill Development Madhya Pradesh for Simultaneous appointment of the spouse or mutual transfer at own cost under special circumstances and transfer on the basis of administrative requirement. They shall keep their Headquarter at the place of their appointment.
- (5) The character verification of the candidate shall be carried out through the District Police.
- (6) The employee shall produce a Medical Fitness Certificate given by a Civil Surgeon or District Medical Board constituted by the State Government for that purpose.
- (7) It shall be compulsory for the selected candidates to receive charge at the place of appointment within 15 days from the issue of appointment order. In case of not taking charge within the said period and/or not entering in to agreement, the contact appointment shall be cancelled automatically.
- (8) If any member of the service appointed on contract basis remains absent for more than one month from the duty without any special reason and information, then the appointment shall itself deemed to be ceased from the date of such absence.
- (9) Residents of Madhya Pradesh shall produce a copy of the Original Domicile Certificate of Madhya Pradesh issued by the competent authority along with their application for availing the age relaxation.
- (10) Person appointed on contract basis shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.
- (11) Person appointed on contract basis shall not be eligible for any kind of pension, gratuity or death benefit.
- (12) Confidential report /PAR (Performance Appraisal Report) of the employee appointed on contract basis shall be recorded so that his work may be assessed in case he is to be given appointment on for the next year.
- (13) During the appointment of retired government servants, he/they may be transferred to equivalent

- post in other office and he/they may also be given additional responsibility in addition to the work of post which shall be mandatory for him to accept.
- (14) Person appointed on contract basis deposit a minimum of 10% of his contact pay in Life Insurance Pension Scheme or Public Provident Fund for social security of his family and he shall intimate this fact to the Appointing Authority as to which of the scheme he has opted, but this provision shall not be applicable to retired Government Servant.
- (15) Retired government servant appointed on, contract basics shall be eligible to retain the government accommodation if he is occupying the same at the time of retirement and license fees shall be recovered from him as per rule 45-A of Madhya Pradesh Fundamental Rules.

16. Special provisions for primitive tribes.-

If a candidate belonging to Sahariya Tribe of District Sheopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpur,i Guna, Ashoknagar; Baiga Tribe of District Balaghat, Mandela, Dindori, Shahdol and Umaria; Bhariya Tribe of the Tamia Development Block of District Chhindwara, fulfills the specified/ minimum educational qualification and other eligibility, the Director, Skill Development Madhya Pradesh can appoint him on a contractual post without following the requirement procedure mentioned in these rules. This candidate shall be entitled to receive benefit of this provision of contractual appointment without procedure. If the number of applications received is more than the total number of posts, the selection shall be done on the basis of marks scored in the minimum qualification examination in descending order.

- 17. Disqualification.- No person shall be employed on contract as Class III and Class IV Employees, if-
 - (a) he/she is not a citizen of India;
 - (b) he/she has been dismissed provisionally from service from Central Government/State Government and/ local body, co-operative society or any public sector undertaking under the control of Central Government or State Government;
 - (c) he/she has been convicted for the offence involving moral turpitude:

Provided that where such case is pending in court, the contractual appointment shall be kept pending till the final decision of the court.

(d) He has been convicted any offences against women:

Provided that where such case in pending in court, the appointment shall we kept pending till the final decision of the court.

(e) The candidate has more than one wife living and in case of female candidates, if she has married a person having a wife living already.

(f) he/she has been convicted and punished under any

criminal offences:

Provided that if a person has been so convicted but has been left off only with a warning and has not been sentenced to undergo any punishment, such person shall not be deemed disqualified.

(g) The candidate does not possess minimum prescribed

qualification for the advertised post.

(h) The candidate is an employee of the Central Government/ State government or any local authority of Central Government/State Government or organization of any Government aided and if he does not submit a no-objection certificate obtained from present employer.

(i) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any other means may be held disqualification by the Appointing Authority

for appearing in the examination/selection.

(j) Any candidate who has more than two living children, one of whom is born on or before 26th

January 2001:

- Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery which take place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.
- (k) The candidate has married before the minimum age fixed for marriage, shall not be eligible for on contract appointment.

18. Selection Procedure.-

The following procedure shall be followed for the requirement on the contract of the Class III and class-IV categories, namely:-

(1) Procedure for advertisement.-

- (a) For vacant post of Class-III, the advertisement shall be issued by Directorate, Skill Development/ Professional Examination Board (PEB) or any other competent agency approved by the Department and for Class-IV cadre, the advertisement shall be issued by the Regional Joint Director of Skill Development, in which the last date for submitting the application shall be clearly mentioned.
- (b) The candidate may submit separate application for more than one post.

- (c) The advertisement for recruitment shall be displayed on the Notice Board/Website of the Department.
- (d) The advertisement in respect of recruitment shall be published in at least two State level Newspapers through Public Relation Department.

(2) Selection criteria.-

- (a) The marks obtained in the written examination for selection for contractual appointment of Employees will be selected on the basis of merit.
- (b) The division of marks in written test will be as follow:-

S.No	Name of post	Subject	% of Max. Mark
(1)	Resource Person (communication skill, English proficiency, quality management tools, Entrepreneurship, skill occupational safety and health)	(3) 1. General knowledge 2. General math 3. Proficiency in English and Hindi 4. Basic knowledge of computer	(4) 25% 25% 25% 25%
2.	Computer operator cum Clerk	allefore person in the second	
3.	Hostel superintendent		
4.	Librarian	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.	Class IV	 General knowledge General math 	50% 50%

For all subjects, the question paper level shall be according to the syllabus of class 10th for Class III and class 8th for class IV.

(3) Procedure for written Eligibility test.-

- (a) Directorate or its authorized agency shall publish information regarding the process and examination of application forms in the news papers.
- (b) Post wise syllabus for written test/skill or both whichever is decided for specific post shall be published/posted on website by the Directorate or its authorized agency.
- (c) The minimum percentage class wise/category wise in each part of the question paper of eligibility test for recruitment shall be as given below:-

Sr.No.	Name of Post	Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Physically Challenged	Others
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Resource Person (communication skill, English proficiency, quality management tools, Entrepreneurship, skill occupational safety and health)	36%	40%
2.	Computer operator cum Clerk	36%	40%
3.	Hostel superintendent	36%	40%
4.	Librarian	36%	40%
5.	Class IV	36%	40%

- (4) Preparation of selection List: The Directorate or an authorized agency for eligibility test shall be prepare the merit list/ selection list and issue it. The merit list/ selection list of the selected candidates on the above basis shall be prepared in the order of merit and the names of selected candidate shall be cited in the selection list. If needed, the waiting list shall be issued which shall include the number of candidate as required/ directed by the Directorate.
- (5) Method of Employment:-The candidate appointed on contract basis shall have to enter into a bond as per the format maintained at the annexure appended to these rules. Work/conduct and performance evaluation of each Employee for each academic year shall be maintained by the Appointing Authority, on the basis of which the duration of Employment of selected person can be extended.
- (6) Decision about the eligibility of the candidate: The decision of the Directorate or the Agency authorized by the Directorate as to the eligibility of a candidate for examination shall be final and no candidate to whom a certificate admission (Admit Card) has not been issued by the Directorate/ authorized agency shall be allowed to appear in the examination.
- 19. Saving:- Nothing in these rules shall affect the conditions required to the provisions for the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes in

- accordance with the orders issued by the State Government, from time to time in this regard.
- 20. Interpretation: If any question arise relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the General Administration Department of the State Government on which decision of the General Administration Department shall be final.
- 21. Repeal: All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that all appointment on the date of coming into force of these rules shall be deemed to have been made under these rules service condition of previous appointment order shall be applicable as it is for the remaining period of contract.

SCHEDULE -I

S.No	Name of post	No. of Sanctioned Posts	Amount in Rs
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Resource Person (communication skill, English proficiency, quality management tools, Entrepreneurship skill, occupational safety and health)	219	The honorarium of the contractual employees shall be 90% of minimum salary of equivalent post
2.	Computer operator cum Clerk	100	do
3.	Hostel superintendent	80	do
4.	Librarian	04	do
5.	Class IV	40	do

SCHEDULE -II

Educational and other Qualification for requirement of class

	III/IV	yees and the second second	
S.No	Name of post	Age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Resource Person (Communication Skill, English Proficiency, Quality	18 to 25 years	Higher Secondary (10+2) (12th examination passed) with English subject.
	Management Tools, Entrepreneurship Skill, Occupational Safety and Health)		2. Bachelor of Business Administration / Master of Business Administration or Sociology / Master of Social Work/Master of Arts / Economics from any recognized University.
			3. Diploma in Computer Application/Post Graduate Diploma in Computer Knowledge-DCA/PGDCA/COPA Valid Score Card or Higher Computer Qualification
2.	Computer operator cum Clerk	18 to 25 years	1. Higher Secondary(10+2) (12th examination passed)
			2. CPCT Certificate (score board) of computer proficiency certification exam conducted by Department of Science and Technology.
			3. Candidate must have passed Computer Examination from any one of the recognized Institutes given below;
			(a) shall have passed Diploma in Computer Examination from the University recognized by UGC

3.	Hostel superintendent	18 to 25 years	/Computer Application and Information Technology 1. Graduate degree examination passed from any recognized University 2. Degree /diploma in physical education.
	*		 (f) B.E.(CS/IT), M.C.A., B.C.A., M.Sc. (IT/CS), B.Sc. (IT/CS), M.Tech. /M.E. (g) Polytechnic Diploma approved by AICTE In Computer Science
			"Computer Operator and Programming Assistant",(COPA) given by National Council For vocational Training(NCVT), New Delhi or State Council For vocational Training (SCVT), Madhya Pradesh.
			 (d) Must have passed modern office management course from any Govt. Polytechnic College. (e) Certificate of one year
		,	(c) Must have passed any exam equivalent DOEACC at Diploma level.
			(b) must have passed Diploma in Computer Examination from the open University recognized by UGC

4.	Librarian	18 to 25 years	High school or equivalent or 11th passed (Old syllabus)
			2. National Council for vocational training/State Council for vocational training certificate or National apprenticeship certificate or a Degree /Diploma in Library and Information Science from a recognized University/ Board /Polytechnic.
5.	Class-IV	18 to	Passed Class 8th from a
	·	25	State Government
	·	years	recognized School

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, PANKAJ SHARMA, Dy. Secy.

(On the Stamp paper of Rs 100/-)

AGREEMENT FOR CONTRACTUAL APPOINTMENT

(For Appointment on Fixed Salary)

First Party(Employer)	Director, Skill Development, Madhya Pradesh or any competent Authority assigned by him who shall selector for appointment on the post of
Second Party(Selected Candidate)	convenience shall be addressed as first party in this deed) Shri

The Other particular are as follows:-

- 2. That, the selected service employee/second party shall not be treated as government servant.
- 3. That, the selected second party/ service employee shall not be entitled to regularization or regular pay scale, nor can he/she claim this in the court of law.
- 4. That, the selected second party / service employee is not entitled to dearness allowances /house rent allowances and any other allowances.
- 5. That, the selected second party shall not be entitled to any kind of leave beside casual leave of 13 days and 3 days optional leave.
 - In case of women candidate she shall be entitled to 180 days maternity leave and in case of male candidate he shall be entitled 15 days paternity leave for his wife's delivery.
- 6. That, the travelling allowances as per the Government Rules shall be payable to the selected second party for the government work. Beside the said allowances, no benefits of any kind, similar to that of the Employees of the Government

of Madhya Pradesh, shall be provided nor any other allowances shall be payable, consent of which in hereby given by the second party through his/her signature on this.

7. That, in case of grievous complaint against the selected second party or if the candidate is found indulging in unwanted/ political activity or Grave irregularity at work, the first party shall have the right to cease the service at any time. Hence, in case any of the aforesaid allegations are proved, the first party shall have the right to cease the service of second party at any time without any notice regarding which the second party shall have no objection.

8. That, in during the service the second party causes grievous hurt to anybody or if himself suffer any injury or suffer any physical disability or commit suicide than in such a situation no claim of any kind by the second party or from his/her family member on his/her behalf, shall be acceptable. In any other condition contrary to the service condition, no appointment to the service/appointment on compassionate ground etc., shall be provided to any family member of the candidate for which the second party shall have no objection.

9. That, if the second party wants to leave his/her service before the expiry of said one year service contact, in such a situation the second party shall have to give prior service notice of one month to the appointing authority in a condition otherwise he/shall have to obtain receipt by depositing lump-sum salary of one months and to obtain No- dues certificate from the institution.

10. That, the service of the second party may be ceased at any time if not found satisfactory or for other regions without notice, on which the second party shall have no objection.

11. That, if any fact remain left in the letter of appointment or adds after words by the first party due to any amended or modified rule of Government of Madhya Pradesh then in such a situation a supplementary shall be executed which shall be acceptable to the second party and the second party promises to sign the same.

I	have carefully gone through the service conditions of
abov	e mentioned. Hence in witness whereof I have executed
this	contact on this day
of	without any fear or pressure
in th	ne presence of two witnesses so that it can be referred to
as ar	nd when required.

_	(first party)(Employer)
Signature	(second party)

(Selected candidate)

1. Signature	2. Signature
Name	Name
Address	Address